न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या–03 / 2020–21

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08/07/2020	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता **प्रफुल्य कुमार बाउरी, पिता–स्व0 विष्टु बाउरी, जाति–बाउरी, ग्राम–जयतारा, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–जयतारा, थाना नं0–130 के खाता संख्या–64, प्लॉट नं0–1361, रकवा 0.03⅔ एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 244/भू0सु0, दिनांक 05.06.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1120 दिनांक 26.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् हैः– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे **खतियान विसु बाउरी दीगर** के नाम से दर्ज है। 2. **(क)**. विक्रेता **ग्राम–जयतारा, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** के मूल निवासी हैं। **(ख)**. क्रेता **ग्राम–जयतारा, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** के मूल निवासी हैं। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के **बाउरी** हैं, जो **अनुसूचित जाति** के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को केवाला के द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भुमि का जमाबंदी पंजी–II के थोका संख्या–1090 में प्रफुल्य बाउरी दीगर के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2017–18 तक रसीद निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म–वस्तुवाड़ी है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा–जयतारा, के खाता संख्या–64 प्लॉट नं0–1361 रकवा 0.03⅔ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0–JHRC/2019/187283 - दिनांक 18.06.2019 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र–JHRC/2017/573445 दिनांक 01.08.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता **प्रफुल्य कुमार बाउरी, पिता–स्व0 विष्टु बाउरी, जाति–बाउरी, ग्राम–जयतारा, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–जयतारा, थाना नं0–130 के खाता संख्या–64, प्लॉट नं0–1361,** रकवा **0.03⅔ एकड़** भूमि क्रेता **रघुनन्दन बाउरी, पिता–विष्टु बाउरी, जाति–बाउरी, ग्राम–जयतारा, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित 08/07/20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 08/07/20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	10/07